आयुक्त, राज्य कर
छत्तीसगढ़, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक : 17.08.2017

क्रमांक / सीजीजीएसटी / 01 / 2017 (05) – छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 61 के उप–नियम (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचना क्रमांक 3 दिनांक 08.08.2017 में, एतद्द्वारा, माह जुलाई 2017 के लिए प्ररूप जीएसटीआर–3बी में विवरण पत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से कॉमन पोर्टल पर प्रस्तुत करने की तिथि निम्न सारणी के कॉलम (2) में वर्णित रजिस्टर्ड व्यक्तियों के वर्ग के लिए, कॉलम (4) में वर्णित शर्तों के अंतर्गत कॉलम (3) में वर्णित तिथि को विनिर्दिष्ट किया जाता है, अर्थात :

अ. क्र.	रजिस्टर्ड व्यक्तियों का वर्ग	प्ररूप जीएसटीआर–3बी में विवरण पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	शर्तें
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 140 सहपठित, उक्त नियम का नियम 117 के अंतर्गत इनुपट कर प्रत्यय प्राप्त करने हेतु पात्र ऐसे रजिस्टर्ड व्यक्ति जिनके द्वारा 28 अगस्त, 2017 या इसके पूर्व प्ररूप जीएसटी टीआरएएन–1 प्रस्तुत नही किया जाता है।	20 अगस्त, 2017	.....
2.	छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 140 सहपठित, उक्त नियम का नियम 117 के अंतर्गत इनुपट कर प्रत्यय प्राप्त करने हेतु पात्र ऐसे रजिस्टर्ड व्यक्ति जिनके द्वारा 28 अगस्त, 2017 या इसके पूर्व प्ररूप जीएसटी टीआरएएन–1 प्रस्तुत कर दिया जाता है।	28 अगस्त, 2017	(i) माह जलाई, 2017 के लिए "छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत देय कर" की गणना करके और उक्त नियम के नियम 87 के प्रावधानों के अंतर्गत 20 अगस्त, 2017 को या इसके पूर्व नगद रूप में जमा कर दिया जाता है। (ii) जीएसटीआर–3बी प्रस्तुत करने के पूर्व उक्त नियमों के नियम 117 के उप–नियम (1) के अंतर्गत प्ररूप जीएसटी टीआरएएन–1 प्रस्तुत कर दिया जाता है।

			(iii) जहां, माह जुलाई, 2017 के लिए छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत देय कर, जैसा कि प्ररूप जीएसटीआर–3बी में प्रस्तुत विवरण पत्र में दर्शाया गया है, बिन्दु (i) के अनुसार जमा किये गये कर की राशि से अधिक है, रजिस्टर्ड व्यक्ति ऐसी अधिक राशि का नगद रूप में उक्त नियम के नियम 87 के प्रावधानों के अनुरूप, दिनांक 21 अगस्त, 2017 से जमा करने की तारीख तक, गणना किये गये देय ब्याज के साथ, 28 अगस्त, 2017 को या इसके पूर्व जमा करेगा।
3.	कोई अन्य रजिस्टर्ड व्यक्ति	20 अगस्त, 2017	...

2. **जीएसटीआर–3बी के अनुसार कर देयता के निर्वहन के लिए करों का भुगतान** : छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 49 के प्रावधानों के अनुसार, प्ररूप जीएसटीआर–3बी में विवरण पत्र प्रस्तुत करने वाले प्रत्येक रजिस्टर्ड व्यक्ति को, कर, ब्याज, शास्ति, शुल्क या कोई अन्य राशि, जो इस अधिनियम के अंतर्गत देय है, का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रोकड़ बही या इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय बही को डेबिट करके करना होगा।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, वाक्यांश–

(i) ''रजिस्टर्ड व्यक्ति'' से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर, अधिनियम, 2017 की धारा 39 की उप–धारा (1) के अंतर्गत विवरण पत्र प्रस्तुत करने हेतु दायी व्यक्ति।

(ii) ''छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर, अधिनियम, 2017 के अंतर्गत देय कर'' से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर, अधिनियम, 2017 के अध्याय 5 और धारा 140 तथा इसके अध्ययीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत, माह जुलाई, 2017 के लिए प्ररूप जीएसटीआर–3बी में प्रस्तुत विवरण पत्र में दर्शाए गए देय कर तथा माह जुलाई, 2017 के लिए पात्र इनपुट कर प्रत्यय की राशि का अंतर।

3. यह अधिसूचना 17 अगस्त, 2017 से प्रभावशील मानी जाएगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(संगीता पी.)
राज्य कर आयुक्त
छत्तीसगढ़, रायपुर

61

Commissioner of State Tax
Chhattisgarh, Raipur

Notification

Raipur, dated : 17.08.2017

No./CGGST/01/2017 (05) - In exercise of the powers conferred by sub-rule (5) of rule 61 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as "the said Rules") and notification 3 dated 08th August, 2017, on the recommendations of the Council, it is specified hereby the conditions in column (4) of the Table below, for furnishing the return in FORM GSTR-3B electronically through the common portal for the month of July, 2017, for such class of registered persons as mentioned in the corresponding entry in column (2) of the said Table, by the date specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

TABLE

Sl. No.	Class of registered persons	Last date for furnishing of return in FORM GSTR-3B	Conditions
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Registered persons entitled to avail input tax credit in terms of section 140 of the Chhattisgarh Goods and Service Tax Act, 2017 read with rule 117 of the said Rules but opting not to file FORM GST TRAN-1 on or before the 28th August, 2017	20th August, 2017	...
2.	Registered persons entitled to avail input tax credit in terms of section 140 of the Chhattisgarh Goods and Service Tax Act, 2017 read with rule 117 of the said Rules and opting to file FORM GST TRAN-1 on or before the 28th August, 2017	28th August, 2017	(i) compute the "tax payable under the said Act" for the month of July, 2017 and deposit the same in cash as per the provisions of rule 87 of the said Rules on or before the 20th August, 2017; (ii) file FORM GST TRAN-1 under sub-rule (1) of rule 117 of the said Rules before the filing of GSTR-3B; (iii) where the amount of tax payable under the Chhattisgarh Goods and Service Tax Act, 2017 for the month of

			July, 2017, as detailed in the return furnished in FORM GSTR-3B, exceeds the amount of tax deposited in cash as per item (i), the registered person shall pay such excess amount in cash in accordance with the provisions of rule 87 of the said Rules on or before the 28th August, 2017 along with the applicable interest calculated from the 21st day of August, 2017 till the date of such deposit.
3.	Any other registered person	20th August, 2017	…

2. **Payment of taxes for discharge of tax liability as per GSTR-3B:** Every registered person furnishing the return in FORM GSTR-3B shall, subject to the provisions of section 49 of the Chhattisgarh Goods and Service Tax Act, 2017, discharge his liability towards tax, interest, penalty, fees or any other amount payable under the Act by debiting the electronic cash ledger or electronic credit ledger.

Explanation.- For the purposes of this notification, the expression-

(i) "Registered person" means the person required to file return under sub-section (1) of section 39 of the Chhattisgarh Goods and Service Tax Act, 2017;

(ii) "tax payable under the Chhattisgarh Goods and Service Tax Act, 2017" means the difference between the tax payable for the month of July, 2017 as detailed in the return furnished in FORM GSTR-3B and the amount of input tax credit entitled to for the month of July, 2017 under Chapter V and section 140 of the Chhattisgarh Goods and Service Tax Act, 2017 read with the rules made thereunder.

3. This notification shall come into force with effect from the 17th day of August, 2017.

(Sangeetha P.)
Commissioner of State Tax
Chhattisgarh, Raipur